तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जे.के. चम्पावत निवासी ग्राम खारड़ी तहसील मारवाड़ जंक्शन (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 21/2026 जीसीएमएस नं. :– 2026/34 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.2026	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी सोजत/मारवाड़ जंक्शन व तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन से सम्बन्धित होने से कार्यालय हाजा के पत्रांक 890–892 दिनांक 14.10.2025 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सोजत/मारवाड़ जंक्शन व तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को अन्तरित की गई थी एवं उक्त संबंध में अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने प्राप्त सूचना के संबंध में अपनी आपत्ति जाहिर की। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी सोजत/मारवाड़ जंक्शन व तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सोजत/मारवाड़ जंक्शन व तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत/मारवाड़ जंक्शन व तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का पुनः नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। 6. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी	